भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4986

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948(शक) को दिया जाना है)

आयकर में सरलीकरण के उपाय

4986. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर जब मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तब सरकार का किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का विचार है कि सरलीकरण से आयकर की व्याख्या में अनभिप्रेत अस्पष्टताएं या कानूनी चुनौतियां उत्पन्न नहीं हों;
(ख) कर निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन दायर किए बिना कम या शून्य कटौती प्रमाण-पत्र की अनुमति देने वाली प्रस्तावित नई नियम-आधारित स्वचालित प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और
(ग) वित्तीय वर्ष से अब तक शून्य आयकर स्लैब के अंतर्गत आने वाले करदाताओं की संख्या कितनी है और वर्ष 2020 से अब तक कितने कर-निर्धारितियों को आयकर विभाग से अनभिप्रेत अस्पष्टताओं या कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा इस उद्देश्य से की गई थी कि अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाया जा सके। इस सरलीकरण प्रक्रिया के दौरान, अनभिप्रेत अस्पष्टता की संभावना को कम करने का सचेत प्रयास किया गया है, जिससे नई व्याख्याओं और मुकदमों की संभावना कम हो सके। इसके लिए, प्रमुख शब्दों/वाक्यांशों, विशेषकर जहां न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं, को न्यूनतम संशोधनों के साथ बरकरार रखा गया है। लघु वाक्यों के प्रयोग से इसकी भाषा को सरल बनाया गया है। अनेक व्याख्याओं की संभावना को कम करने के लिए उपबंधों को स्पष्ट किया गया है। स्पष्टता को बढ़ाने के लिए सूत्रों और तालिकाओं का भी उपयोग किया गया है।

(ख) इस अधिनियम की धारा 395 की उप-धारा (1), जिसमें शून्य या कम दरों पर स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान है, को वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से संशोधित किया गया था, ताकि आयकर की कम या शून्य कटौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाण-पत्र जारी करने का विकल्प प्रदान किया जा सके। इस संबंध में विस्तृत नियम को वित्त विधेयक, 2026 के संसद में पारित होने और वित्त अधिनियम, 2026 के रूप में अधिनियमित होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) वित्तीय वर्ष 2020 से शून्य आयकर स्लैब के अंतर्गत आने वाले करदाताओं की संख्या:

नि.व.	दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में सकल कर देयता* को शून्य घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या
2021-22	1,34,05,908
2022-23	1,25,38,114
2023-24	1,19,67,392
2024-25	1,26,10,162
2025-26	1,22,77,376

** सकल कर देयता में किसी भी छूट या राहत को ध्यान में नहीं रखा जाता है।*

वर्ष 2020 से आयकर विभाग (आईटीडी) से करदाताओं को किसी भी अस्पष्टता या कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है या नहीं, इस संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि मुकदमेबाजी न केवल कानून में अस्पष्टता के कारण होती है, बल्कि कर अपवंचन और कर से बचने के कारण भी होती है। इसके अलावा विभाग द्वारा अनभिप्रेत अस्पष्टता को दूर करने, स्पष्टता बढ़ाने, कर संबंधी मुकदमों को कम करने और करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

(i) अनावश्यकताओं को दूर करने, गलत व्याख्या की संभावना को कम करने और प्रावधानों को सरल बनाने के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की समयबद्ध व्यापक समीक्षा की गई।

(ii) आयकर अधिनियम में संशोधन विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद किए जाते हैं ताकि चिंताओं के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और उनका सक्रिय रूप से समाधान किया जा सके।

(iii) आयकर अधिनियम में किए जा रहे परिवर्तनों के उद्देश्य को स्पष्ट करने और अस्पष्टताओं की संभावना को कम करने के लिए वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते समय व्याख्यात्मक ज्ञापन जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में करदाताओं की बेहतर समझ के लिए संशोधनों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) भी सरल भाषा में तैयार किए जाते हैं।

(iv) सीबीडीटी समय-समय पर परिपत्र और दिशानिर्देश जारी करता है ताकि किसी भी उपबंध के संबंध में करदाताओं की चिंताओं का स्पष्टीकरण और समाधान किया जा सके।
